

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 10

वाणिज्य विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4155.82	427.00	4582.82	4699.01	287.00	4986.01	6554.00	867.00	7421.00	5673.00	400.00	6073.00
वसूलियां	-1420.79	-6.06	-1426.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2735.03	420.94	3155.97	4699.01	287.00	4986.01	6554.00	867.00	7421.00	5673.00	400.00	6073.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	128.81	37.00	165.81	150.00	27.00	177.00	134.45	27.00	161.45	150.48	...	150.48
2. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	33.43	...	33.43	45.00	...	45.00	36.41	...	36.41	46.20	...	46.20
3. व्यापार आयुक्त	190.92	...	190.92	200.00	...	200.00	212.60	...	212.60	230.12	...	230.12
4. विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता	86.91	...	86.91	101.65	...	101.65	103.93	...	103.93	117.24	...	117.24
5. विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन												
5.01 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	39.21	...	39.21	42.00	...	42.00	42.00	...	42.00	40.60	...	40.60
5.02 व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा	23.57	...	23.57	23.00	...	23.00	26.87	...	26.87	27.80	...	27.80
5.03 विदेश व्यापार महानिदेशालय	147.46	...	147.46	160.00	...	160.00	170.67	...	170.67	183.43	...	183.43
5.04 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	84.14	...	84.14	20.00	...	20.00	2.00	...	2.00	10.00	...	10.00
जोड़- विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	294.38	...	294.38	245.00	...	245.00	241.54	...	241.54	261.83	...	261.83
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>734.45</b>	<b>37.00</b>	<b>771.45</b>	<b>741.65</b>	<b>27.00</b>	<b>768.65</b>	<b>728.93</b>	<b>27.00</b>	<b>755.93</b>	<b>805.87</b>	...	<b>805.87</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
6. कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए)	82.60	...	82.60	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	80.00	...	80.00
7. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	116.00	...	116.00
8. निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)	59.99	...	59.99	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	71.00	...	71.00
9. शुल्क वापसी स्कीम	472.28	...	472.28	377.00	...	377.00	241.00	...	241.00	221.00	...	221.00
10. चाय बोर्ड	209.19	...	209.19	375.00	...	375.00	353.65	...	353.65	131.92	...	131.92
11. कॉफी बोर्ड	174.60	...	174.60	180.00	...	180.00	188.41	...	188.41	226.21	...	226.21
12. रबड़ बोर्ड	187.69	...	187.69	190.00	...	190.00	263.95	...	263.95	268.76	...	268.76
13. मसाला बोर्ड	100.65	...	100.65	100.00	...	100.00	115.50	...	115.50	115.50	...	115.50

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. काजू निर्यात संवर्धन परिपद	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...
<b>निर्यात संवर्धन योजनाएं</b>												
15. बाजार सुलभता पहल	171.31	...	171.31	200.00	...	200.00	190.00	...	190.00	200.00	...	200.00
16. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	...	...	...	...	...	...	744.00	...	744.00	450.00	...	450.00
17. रत्न तथा आपूर्ण क्षेत्र	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	8.67	...	8.67	...	...	...
18. ई सी जी सी(निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम) में निवेश	...	390.00	390.00	...	260.00	260.00	...	760.00	760.00	...	400.00	400.00
19. ब्याज समकरण स्कीम	1667.00	...	1667.00	1900.00	...	1900.00	3151.15	...	3151.15	2621.50	...	2621.50
20. निर्यात उधार हेतु उद्दीपन पैकेज-निर्वीक योजना	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
21. <i>मेटल एंड मिनिरल ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएमटीसी)</i>												
21.01 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सब्याज ऋण	...	...	...	...	...	...	...	80.00	80.00	...	...	...
22. कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन	1.00	...	1.00	100.00	...	100.00	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-निर्यात संवर्धन योजनाएं</b>	<b>1844.31</b>	<b>390.00</b>	<b>2234.31</b>	<b>2205.01</b>	<b>260.00</b>	<b>2465.01</b>	<b>4093.82</b>	<b>840.00</b>	<b>4933.82</b>	<b>3271.50</b>	<b>400.00</b>	<b>3671.50</b>
23. परियोजना विकास निधि	...	...	...	5.00	...	5.00	0.60	...	0.60	16.50	...	16.50
24. परिवहन और संभार-तंत्र पर चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
25. अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र)	15.66	...	15.66	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	41.00	...	41.00
26. निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना	100.00	...	100.00	150.00	...	150.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>3356.97</b>	<b>390.00</b>	<b>3746.97</b>	<b>3887.02</b>	<b>260.00</b>	<b>4147.02</b>	<b>5806.93</b>	<b>840.00</b>	<b>6646.93</b>	<b>4809.40</b>	<b>400.00</b>	<b>5209.40</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
27. <i>स्वायत्त संस्थाएं</i>												
27.01 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	30.00	...	30.00	60.00	...	60.00	10.00	...	10.00	40.00	...	40.00
27.02 भारतीय पैकेजिंग संस्थान	3.00	...	3.00	8.00	...	8.00	5.85	...	5.85	15.00	...	15.00
27.03 निर्यात निरीक्षण परिषद	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़- स्वायत्त संस्थाएं</b>	<b>33.00</b>	<b>...</b>	<b>33.00</b>	<b>68.01</b>	<b>...</b>	<b>68.01</b>	<b>15.85</b>	<b>...</b>	<b>15.85</b>	<b>55.00</b>	<b>...</b>	<b>55.00</b>
<b>अन्य</b>												
28. सरकारी ई-बाजार विशेष प्रयोजन व्यवस्था (जीईएम एसपीवी)	25.00	...	25.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29. प्रतिनिधिमंडल का विदेश गमन	0.02	...	0.02	0.35	...	0.35	0.20	...	0.20	0.45	...	0.45
30. विदेश से प्रतिनिधिमंडल	0.19	...	0.19	0.83	...	0.83	0.83	...	0.83	0.98	...	0.98
31. विदेश व्यापार संबंधी विवाद पर व्यय	1.14	...	1.14	1.15	...	1.15	1.26	...	1.26	1.30	...	1.30
32. वास्तविक बसूली	-1415.74	-6.06	-1421.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>-1389.39</b>	<b>-6.06</b>	<b>-1395.45</b>	<b>2.33</b>	<b>...</b>	<b>2.33</b>	<b>2.29</b>	<b>...</b>	<b>2.29</b>	<b>2.73</b>	<b>...</b>	<b>2.73</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>-1356.39</b>	<b>-6.06</b>	<b>-1362.45</b>	<b>70.34</b>	<b>...</b>	<b>70.34</b>	<b>18.14</b>	<b>...</b>	<b>18.14</b>	<b>57.73</b>	<b>...</b>	<b>57.73</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2735.03</b>	<b>420.94</b>	<b>3155.97</b>	<b>4699.01</b>	<b>287.00</b>	<b>4986.01</b>	<b>6554.00</b>	<b>867.00</b>	<b>7421.00</b>	<b>5673.00</b>	<b>400.00</b>	<b>6073.00</b>

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. आपूर्ति और निपटान	23.84	...	23.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.00	37.00	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00	...	...	...
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>23.84</b>	<b>37.00</b>	<b>60.84</b>	...	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	...	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	...	...	...
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
3. पौधरोपण	-708.43	...	-708.43	555.40	...	555.40	626.91	...	626.91	621.95	...	621.95
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	128.70	...	128.70	150.00	...	150.00	134.45	...	134.45	150.48	...	150.48
5. विदेशी व्यापार और निर्यात संबर्द्धन	3290.92	...	3290.92	3693.61	...	3693.61	5492.64	...	5492.64	4774.73	...	4774.73
6. विदेशी व्यापार और निर्यात संबर्द्धन पर पूंजी परिव्यय	...	-6.06	-6.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	390.00	390.00	...	260.00	260.00	...	760.00	760.00	...	400.00	400.00
8. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	80.00	80.00	...	...	...
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>2711.19</b>	<b>383.94</b>	<b>3095.13</b>	<b>4399.01</b>	<b>260.00</b>	<b>4659.01</b>	<b>6254.00</b>	<b>840.00</b>	<b>7094.00</b>	<b>5547.16</b>	<b>400.00</b>	<b>5947.16</b>
<b>अन्य</b>												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	125.84	...	125.84
<b>जोड़-अन्य</b>	...	...	...	<b>300.00</b>	...	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	...	<b>300.00</b>	<b>125.84</b>	...	<b>125.84</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2735.03</b>	<b>420.94</b>	<b>3155.97</b>	<b>4699.01</b>	<b>287.00</b>	<b>4986.01</b>	<b>6554.00</b>	<b>867.00</b>	<b>7421.00</b>	<b>5673.00</b>	<b>400.00</b>	<b>6073.00</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
1. आईटीपीओ	104.03	...	104.03	...	407.00	407.00	...	250.00	250.00	...	468.00	468.00	...	468.00	468.00	...	468.00	468.00
2. ईसीजीसी	...	...	...	260.00	...	260.00	760.00	...	760.00	400.00	...	400.00	...	...	400.00	...	...	400.00
<b>जोड़</b>	<b>104.03</b>	...	<b>104.03</b>	<b>260.00</b>	<b>407.00</b>	<b>667.00</b>	<b>760.00</b>	<b>250.00</b>	<b>1010.00</b>	<b>400.00</b>	<b>468.00</b>	<b>868.00</b>	...	<b>468.00</b>	<b>868.00</b>	...	...	<b>868.00</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान कार्यालय भवन 'वाणिज्य भवन के निर्माण हेतु प्रावधान सहित विभाग के सचिवालयी स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय:** वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय भारत की व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक सूचना के संग्रहण, संकलन एवं प्रसार के लिए भारत सरकार का अग्रणी संगठन है।

3. **व्यापार आसूक्त:** विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यरत 106 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं और वे विश्व के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक आदान-प्रदान का संबर्द्धन करने के लिए होते हैं। इन स्कंधों का प्राथमिक कार्य वैश्विक बाजार की प्रवृत्तियों, व्यापारिक कार्यकलापों से संबंधित पूरक सूचना के जरिए व्यापारिक एवं आर्थिक नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना है। यह प्रावधान इन वाणिज्यिक कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु है।

4. **विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता:** यह प्रावधान मुख्यतः घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से अलग अंतः क्षेत्रों के रूप में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्धन के लिए शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, उक्त क्षेत्र के भीतर स्थित निर्यातमुख इकाइयों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं।

5.01. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** विश्व व्यापार संगठन को भारत का वार्षिक अंशदान

5.02. **व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा:** व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5.03. **विदेश व्यापार महानिदेशालय:** डी जी एफ टी निदेशालय भारतीय निर्यात के संवर्धन के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यान्वयन में विभिन्न शुल्क निष्प्रभावीकरण योजनाएं जैसे अग्रिम प्राधिकार, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार, शुल्क हकदारी पासबुक, माने गए निर्यात, शुल्क प्रतिअदायगी तथा अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु और अन्य प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।

5.04. **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:** इसमें दुबई में अक्टूबर, 2020 से अप्रैल, 2021 तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और भागीदारी का प्रावधान शामिल है।

6. **कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए):** कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) का गठन कृषि निर्यात के अनुसूचित उत्पादों के विकास एवं संवर्धन के लिए दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (1986 का 2) के तहत किया गया।

7. **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए):** समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण समुद्री निर्यात पर विशेष बल के साथ समुद्री उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है।

8. **निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसरचना (टीआईईएस):** इस स्कीम में बॉर्डर हाट, लैंड कस्टम स्टेशन, जांच सुविधा, जांच एवं प्रमाणन लैब, व्यापार संवर्धन केंद्र, शुल्क पत्तन, निर्यात भंडारण आदि जैसी अत्यधिक निर्यात संपर्क वाली परियोजनाओं के लिए निधि का प्रावधान है।

9. **शुल्क वापसी स्कीम:** समवत निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे माल पर संदत सीमा शुल्क /उत्पाद शुल्क का रिफण्ड / टीईडी का रिफण्ड।

10. **चाय बोर्ड:** चाय बोर्ड का गठन भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास पर काम करने के लिए किया गया था। बोर्ड का फोकस चाय उद्योग एवं व्यापार के विकास, विशेष रूप से खेती के क्षेत्रफल में विस्तार, उत्पादन, चाय की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकों के सहकारी प्रयासों के संवर्धन तथा चाय में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को प्रोत्साहन देने, चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक अभियान आयोजित करने तथा पंजीकरण एवं लाइसेंस जारी करने जैसे विनियामक कार्यों पर केंद्रित है। बोर्ड चाय सांख्यिकी के संग्रहण एवं प्रसार में भी प्रमुख भूमिका भी निभाता है तथा चाय बागानों के ऐसे मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करता है, जो बागान श्रम अधिनियम 1951 जैसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत शामिल नहीं हैं।

11. **काँफी बोर्ड:** काँफी बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, विदेशी एवं आंतरिक संवर्धन तथा कल्याणकारी उपायों के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को संकेन्द्रित करता है।बोर्ड को सौंपे गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : काँफी उद्योग के हित में कृषि एवं

प्रौद्योगिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनके विकास के लिए काँफी एस्टेट को सहायता प्रदान करना, भारत में पैदा होने वाली काँफी की बिक्री एवं खपत को भारत में एवं अन्यत्र बढ़ावा देना , काँफी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य प्रचालनों का प्रबंधन करना।

12. **रबड़ बोर्ड:** रबर बोर्ड देश में रबर उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए यह वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अनुसंधान में मदद करता है और प्रोत्साहित करता है, रोपण, खाद डालने, छिड़काव करने, हार्बेस्टिंग, खेती की उन्नत विधियों में उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है; रबर के प्रसंस्करण एवं विपणन में सुधार लाता है; और एस्टेट के स्वामियों, डीलरों, प्रोसेसर तथा रबर उत्पाद विनिर्माताओं से आंकड़े एकत्र करता है। काम करने की बेहतर स्थितियां प्रदान करना और रबर बागान के मजदूरों को सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करना/ उनमें सुधार लाना भी बोर्ड का कार्य है।

13. **मसाला बोर्ड:** मसाला बोर्ड छोटी एवं बड़ी दोनों इलायची उद्योग के समग्र विकास, विपणन तथा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में सूचीबद्ध 52 मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

14. **काजू निर्यात संवर्धन परिषद:** नये क्रेताओं, बाजारों की पहचान करना, बाजार की तबीनतम रूझानों एवं आवश्यकताओं को समझना, उद्योग, उपलब्धता, प्रदायगी क्षमता, गुणवत्ता मानक, बाजार परिदृश्य के बारे में जागरूकता पैदा करना, क्रेताओं एवं विक्रेताओं के साथ बातचीत और इसके माध्यम से निर्यात संवर्धन।

15. **बाजार सुलभता पहल:** बाजार पहुंच पहल स्कीम को स्थाई आधार पर भारत के निर्यात का संवर्धन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। व्यक्तिगत निर्यातकों की सहायता करने के लिए प्रावधान हैं उत्पाद पंजीकरण तथा विदेश में इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल उत्पादों के परीक्षण प्रभागों के लिए। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के संगठनों निर्यात संवर्धन परिषदों पंजीकृत व्यापार संवर्धन संगठनों वस्तु बोर्डों, मान्यताप्राप्त शीर्ष व्यापार निकायों तथा मान्यताप्राप्त औद्योगिक क्लस्टर्स को सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र गतिविधियों के तहत विदेशों में विपणन परियोजनाएं, क्षमता निर्माण, सांविधिक अनुपालन के लिए सहायता, अध्ययन, परियोजना विकास आदि शामिल हैं।

16. **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता:** राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता का उद्देश्य निर्यात की ऐसी परियोजनाओं के सेक्टरों को क्रेडिट बीमा सहायता प्रदान करना है जो ईसीजीसी की बीमांकन क्षमता से अधिक हैं। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता न्यास द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता का अनुरक्षण एवं प्रचालन किया जाता है जो वाणिज्य विभाग एवं ईसीजीसी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक सार्वजनिक न्यास है।

17. **रत्न तथा आभूषण क्षेत्र:** जेम एंड ज्वैलरी मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के तहत जेम एंड ज्वैलरी सेक्टर के लिए 50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 13 कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीजी सी) स्थापित करने की योजना शामिल की गई थी। इस योजना को जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जी जेईपीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

18. **ई सी जी सी(निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम) में निवेश:** ईसीजीसी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक कारणों की वजह से निर्यात आय की प्राप्ति न होने के जोखिम के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा सुरक्षा प्रदान करना और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्यातकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की गारंटी प्रदान कर देश के निर्यातों में सहायता करना है।

19. **व्याज समकरण स्कीम:** निर्यात में तेजी लाने के लिए कुछ श्रम गहन तथा अन्य निर्यात उन्मुक्त क्षेत्रों को सब्सिडी प्रदान करना

20. **निर्यात उधार हेतु उद्दीपन पैकेज-निर्वाक योजना:** स्टिमलस पैकेज फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट-निर्विक योजना निर्यात ऋण में वृद्धि करेगी।
21. **मेटल एंड मिनिरल ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएमटीसी):** मेटल एंड मिनिरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए इक्विटी शेयरों को आवंटित किया है। चूंकि भारत सरकार कंपनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी में हिस्सेदारी रखती है, इसलिए कुल शेयर पूंजी में वृद्धि हुई है। इसलिए एमएमटीसी के संबंध में पूंजीगत व्यय (निवेश) के लिए एक मिलान प्रावधान किया गया है।
22. **कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन:** राज्य एजेंसियों, संस्थागत तंत्र, समूह, उत्पादन वृद्धि, विपणन तथा अनुसंधान एवं विकास में सहायता के लिए प्रावधान।
23. **परियोजना विकास निधि:** परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) का उद्देश्य भारतीय उद्योग के सदस्यों द्वारा सीएलएमवी क्षेत्र में निवेशों को बढ़ावा देना है। पीडीएफ का संचालन, स्पेशल परपज व्हिफ्लैकल्स (एसपीवी) मूजित करके सहयोगी भारतीय कारपोरेटों द्वारा सीएलएमवी क्षेत्र में निवेश के लिए अभिजात परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु एक्जिम बैंक द्वारा किया जाएगा। पीडीएफ से क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और इसके परिणामस्वरूप भारतीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
24. **परिवहन और संभार-तंत्र पर चैम्पियन सेवा सैक्टर स्कीम:** मंत्रिमंडल ने उनके विकास को बढ़ावा देने और उनकी क्षमता को साकार करने के लिए 12 पहचान की गई चैम्पियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, वाणिज्य मंत्रालय के विकास को साकार करने के लिए स्क्रिनिंग समिति को सचिवालय समर्थन प्रदान करेगा।
25. **अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र):** सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज (सीडब्ल्यूटीओएस) की अनुसंधान क्षमताओं का विस्तार करने के लिए एक नया संस्थान बनाया गया है जिसका नाम बदलकर इंस्टीट्यूशन सीआरआईटी (सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड) है, जो आईआईएफटी का हिस्सा बना रहेगा।
26. **निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना:** यह योजना कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु माल-भाड़ा नुकसान को कम करने के लिए माल-भाड़ा की अंतरराष्ट्रीय घटकों के लिए सहायता प्रदान करेगा तथा कृषि उत्पादों की विपणन के लिए सहायता प्रदान करेगा जिससे विदेशी बाजारों में ब्रेंडेड कृषि उत्पादों की निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है।
- 27.01. **भारतीय विदेश व्यापार संस्थान:** मानव संसाधन विकास डाटा के सृजन विश्लेषण प्रसार तथा अनुसंधान के संचालन के माध्यम से देश के विदेश व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने तथा निर्यात बढ़ाने में मदद के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा 1963 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का गठन किया गया।
- 27.02. **भारतीय पैकेजिंग संस्थान:** भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना अच्छी पैकेजिंग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, पैकेजिंग तथा पैकेजिंग डिजाइन में अध्ययन अनुसंधान एवं विकास करने और प्रोत्साहित करने, पैकेजों के लिए मानकों की सिफारिश करने, पैकेजों पैकेजिंग सामग्रियों का परीक्षण करना मूल्यांकन करने और प्रमाणित करने, परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, कारगर सुधार के लिए वस्तुवार और देशवार निर्यात के लिए पैकेजिंग का अध्ययन करने, संगम ज्ञापन में यथा निर्धारित पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी।
- 27.03. **निर्यात निरीक्षण परिषद:** आईसीसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण और लदान पूर्व जांच के माध्यम से निर्यात व्यापार के तीव्र विकास की व्यवस्था के लिए निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत की गई थी। यह

अधिनियम केंद्र सरकार को निम्नीलिखित का अधिकार प्रदान करता है ऐसी वस्तुएं अधिसूचित करना जो निर्यात से पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण अथवा दोनों के अधीन होंगी।

28. **सरकारी ई-बाजार विशेष प्रयोजन व्यवस्था (जीईएम एसपीवी):** सरकारी ई-बाजार स्थल विशेष प्रयोजन माध्यम एक राष्ट्रीय सरकारी अधिप्राप्ति कंपनी है, इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अपेक्षित माल और सेवाओं की खरीद के लिए प्रावधान करने हेतु है। जेम एसपीवी केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय और राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और स्थानीय निकायों को आम प्रयोग की वस्तुओं और सेवाओं को पारदर्शी तरीके से एंड टू एंड बाजार के स्थल उपलब्ध कराएगा।
29. **प्रतिनिधिमंडल का विदेश गमन:** बैठक तथा व्यापार करारों के लिए विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान।
30. **विदेश से प्रतिनिधिमंडल:** बैठक तथा व्यापार करारों के लिए विदेश से आने वाले प्रतिनिधि मंडलों के लिए प्रावधान।
31. **विदेश व्यापार संबंधी विवाद पर व्यय:** इसमें विदेशी व्यापार पर विवाद पर होने वाले व्यय का प्रावधान शामिल है।